संख्या- 27 / 1080 / चार-2015-22 (बजट)/2014

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत रत्न स्व0 उस्ताद बिस्मिल्ला खॉ के मकबरे स्थल के विकास हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर निदेशक, संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या-3489/सं0नि0-6(83)/2014-15, दिनांक 21 मार्च,2015 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत रत्न स्व0 उस्ताद बिस्मिल्ला खॉ के मकबरे स्थल के विकास हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 29.96 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत रत्न स्व0 उस्ताद बिस्मिल्ला खॉ के मकबरे स्थल के विकास हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो संलग्न आगणन के अनुसार नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्यिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रश्नगत आगणन पर कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति के प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। बाट आउट एवं प्रोपोराइटरी श्रेणी के कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

6- प्रोपोराइटरी प्रकृति के कार्यो पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा।

7- प्रायोजना के अन्तर्गत सुपरविजन चार्जेज समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- प्रश्नगत कार्य के अन्तर्गत समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का पालन किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता के स्तर के अधिकारी का होगा।

9- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकता अनुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/समक्षम लोक अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

10- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

11- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा , खेलकूद ,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय - 28- भारत रत्न स्व0 उस्ताद बिस्मिल्ला खॉ के मकबरे स्थल का विकास -24-बृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या - 27 / 1080 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहाकारी संघ लि0 लखनऊ।
5- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण प्रखण्ड -1, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहाकारी संघ लि0 वाराणसी।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in